>

Title: Shri Sanjay Nirupam called the attendtion of the Minister of State in the Ministry of Affairs to the need to include Bhojpuri and Rajasthani languages in the Eighth Schedule to the Constitution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up item no. 6 – Calling Attention.

Shri Sanjay Nirupam.

SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"The need to include Bhojpuri and Rajasthani languages in the Eighth Schedule to the Constitution."

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किए जाने के लिए संविधान में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। इस समय भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हो। इनमें से शुरू में संविधान में 14 भाषाएं शामिल की गई थीं। सिंधी भाषा 1967 में शामिल की गई है। इसके बाद 3 और भाषाओं अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थीं। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का आधार उस समय की परिस्थितियां और लोगों की मांगें थीं। इस समय भोजपुर और राजस्थानी भाषाओं सहित 38 और भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांगें लंबित हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने के उद्देश्य मानदंडों को निर्धारित करने के लिए श्री सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में सितम्बर, 2003 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ परामर्श करने के लिए विचाराधीन है। भोजपुर और राजस्थानी भाषाओं सहित अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसुची में शामिल किए जाने की लंबित मांगों पर निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णय के आधार पर लिया जाएगा। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने की मांगों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

श्री संजय निरुपम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो बयान है, पिछले कई वर्षों से जो लिखित जवाब हमारे पास आता है, उसी तरह का है। भोजपुरी, राजस्थानी, दो भाषाएं बाकी तमाम 39 भाषाओं की तरह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए अरसे से संघर्ष कर रही हैं। मैं कॉलिंग अटैंशन में दो भाषाओं के संदर्भ में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। विशेषकर भोजपुरी मेरी मातृभाषा रही है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अब भी है?

श्री संजय निरुपम : अभी भी है। ...(<u>व्यवधान</u>) वहीं इंतजाम करत हैं कि आगे जाकर भोजपुरी में बोलें पार्लियामेंट में, रुको जरा सा। ...(<u>व्यवधान</u>) अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो यहां इन्टरप्रेटेशन नहीं होगा इसलिए यह इंतजाम किया जा रहा है। इस देश में भोजपुरी हिंदी के बाद दूसरी बड़ी भाषा है जो लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है। हमारे पास 7वीं सदी के इसका इतिहास उपलब्ध है। पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान के अलावा लगभग पांच ऐसे कंटीनेंट हैं जहां भोजपुरीभाषी लोग रहते हैं। अगर दुनिया में पापुलेशन देखी जाए तो लगभग 18 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी है। भारत के अलावा लगभग 12 देशों में भोजपुरी बोली जाती है। यह भाषा बिहार और यूपी में रहने वालों की भाषा है लेकिन इसके साथ यह हमारे जैसे लोगों की भाषा है जो मुम्बई, कोलकाता या दिल्ली में रह रहे हैं। यह उन लोगों की भाषा है जो आज से 150 साल पहले हिन्दुस्तान से अलग देशों में किरमिटया मजदूर बनकर गए थे। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और ट्रिनिदाद गए और सूरीनाम से बहुत से लोग आकर हॉलैंड में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की घर और बोलचाल की भाषा, आपस के व्यवहार की भाषा भोजपुरी है। ऐसी भाषा के बारे में पिछले दिनों बिहार में सर्वे हुआ, जहां भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है और सर्वे के बाद बिहार में भोजपुरी नंबर वन रही। यहां तक कि बिहार में हिन्दी राष्ट्रभाषा से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है और इसकी संख्या 24 प्रतिशत के आसपास है। एक प्रांत में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, यूपी का पूर्वांचल भोजपुरी इलाका हो गया है। हिन्दुस्तान में लुधियाना, सूरत, बड़ौदा शहरों में भोजपुरी भाषी लोग मिलते हैं। इस आधार पर एक अरसे से मांग उठ रही है कि इस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाए। सिर्फ लोग बोलते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इस भाषा को अपना एक इतिहास, संस्कृति, व्याकरण और परंपरा है, इसकी लिपि सिर्फ देवनागरी है। अन्यथा सोचें तो इस भाषा का बहुत समृद्ध इतिहास है। हमारे देश में लगभग 1000 के आसपास भोजपुरी राइटर्स हैं। पूरी दुनिया में भोजपुरी लिखने वाले लोग हैं। लगभग आठ विश्वविद्यालयों में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हो रही है, पटना, मगध, जौनपुर, कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। इग्नू की तरफ से फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है।

इस आधार पर हमारी सरकार से बार-बार यह मांग रही है कि आप भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें। राजस्थानी भाषा का भी अपना एक इतिहास रहा है। राजस्थानी भाषा की अपनी एक संस्कृति और परम्परा है। यह एक पूरे प्रांत की भाषा है। पूरी दुनिया में मारवाड़ी समाज के लोग गये, लेकिन आज भी जब मारवाड़ी समाज के लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। इस तरह से उस प्रांत की भाषा, उस समाज की भाषा, इन दोनों भाषाओं को एक सम्मान देने का आग्रह करने के लिए मैं यहा खड़ा हुआ हूं। किसी भी समाज को सम्मान देने के लिए, किसी भी समुदाय को सम्मान देने के लिए उसकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कबीर को आदिकवि माना जाता है। कबीर की जो मूल भाषा थी, वह भोजपुरी भाषा थी। सन् 1200 में उन्होंने खुद कहा था कि मेरी भाषा भोजपुरी भाषा है। फिर ऐसी भोजपुरी भाषा, जिसकी पढ़ाई-लिखाई में लोगों की रुचि है, ऐसी भोजपुरी भाषा जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इस भाषा को जितनी जल्दी हो सके संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का एक निर्णय सरकार द्वारा लिया जाए।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कोई एक समय सीमा निर्धारित नहीं की। इस पर मैं दुख प्रकट करता हूं। सीताराम महापात्र कमेटी को बताया गया था कि आप क्राइटीरिया तय करें कि किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या क्राइटीरिया हो सकता है।

हमारे संविधान में 14 भाषाओं को पहले शामिल किया गया था और उसके पांच-दस साल के बाद अन्य भाषाओं को शामिल किया गया था। इस तरह से 22 भाषाओं को शामिल करते समय कभी क्राइटीरिया तय नहीं किया गया। लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो भावना है, उनकी मांग को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया था। सीताराम महापात्र कमेटी को कहा गया था कि आप एक क्राइटीरिया तय करके बतायें कि किस आधार पर इन भाषाओं को रखना चाहिए।

मेरा मंत्री जी से पहला सवाल है कि सीताराम महापात्र कमेटी की रिपोर्ट इस समय कहां हैं? आपने अपने बयान में कहा है कि 2004 में यह रिपोर्ट सबमिट की गई। आज वर्ष 2010 चल रहा है। पिछले छः वर्षों से इस रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा हैं? क्या इस रिपोर्ट में भोजपुरी और राजस्थानी जैसी भाषाओं के बारे कुछ सकारात्मक विचार प्रकट किये गये हैं? इस कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स एक क्राइटीरिया तय करने के लिए कहा गया था। क्या उस क्राइटीरिया के बारे में कमेटी ने कुछ कहा है। इससे पहले 1996 में अशोक पाहवा कमेटी बनी थी। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अशोक पाहवा कमेटी से यही सवाल पूछा गया था कि क्या क्राइटीरिया हो सकता है, क्या आधार हो सकता है, क्या मानदंड हो सकते हैं? उसने कहा था -

"The official language of the State may be included in the Eighth Schedule on the condition it should be spoken by substantial proportion of the population of a particular State."

आज हमने मैथिली भाषा को रखा है। मैथिली भाषा बिहार की भाषा है। बोड़ो, कोंकणी, डोगरी भाषाओं को रखा है। इन तमाम भाषाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसा अवश्य होना चाहिए। लेकिन इन भाषाओं को बोलने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं, जब कि भोजपुरी भाषा इनसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसे में जिस प्रकार से बोड़ो भाषा को सम्मान दिया गया, जिस प्रकार से मैथिली भाषा को सम्मान दिया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से भोजपुरी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए।

दूसरी बात कही गई कि जिस भाषा को आठवीं अनुसूची में लेना है, उसका अपना साहित्य होना चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज तक भोजपुरी को बहुत ज्यादा सरकारी मान्यता नहीं मिली है, सरकारी सहयोग, सरकारी समर्थन तथा सरकारी वित्तीय सहयोग नहीं मिला। पिछले हजार वर्षों से भोजपुरी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है। यह बहुत समृद्ध साहित्य है, इसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत अच्छी कहानियां और निबंध लिखे जाते हैं। ऐसे में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अशोक पाहवा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो एक क्राइटीरिया तय किया गया, वह क्राइटीरिया सही साबित होता है। इसलिए भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन इसके चार-चार टीवी चैनल्स चल रहे हैं। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन भोजपुरी का अपना सिनेमा है और यह सिनेमा लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के बजट का सिनेमा है। इस तरह से प्रशासन और सरकार के सहयोग के बगैर जो भाषा इतनी समृद्ध हो रही है, यदि उसे सरकार ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, मान्यता दी तो निश्चित तौर पर उस भाषा का स्थान और बढ़ेगा और उस भाषा के साथ संबंध रखने वाले लोगों की भावनाओं की एक कद्र होगी। इसलिए भोजपुरी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी समाज की भावनाओं को ध्यान रखते हुए इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में तत्काल प्रयत्न हों, तत्काल टाइमफ्रेम तय हो और जितना जल्दी हो सके मंत्री महोदय इसके बारे में एक निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदया : डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री लालचन्द कटारिया, श्री देवजी एम. पटेल और श्री राम सिंह कस्वां इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने भोजपुरी में भाषण क्यों नहीं किया?

श्री संजय निरुपम : मैं वचन देता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेने के बाद मैं भोजपुरी में भाषण दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की धारा 343 से 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। उसमें सब से पहले कहा गया है कि हिन्दुस्तान की राजभाषा हिन्दी होगी। हम चाहते हैं कि हिन्दी राज भाषा के बाद राष्ट्रभाषा हो, नहीं, नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसे विश्वभाषा का दर्जा प्राप्त हो, यू.एन.ओ.की भाषा हिन्दी बने। जहां तक भोजपुरी का सवाल है, यह लोक भाषा है, बोली नहीं रह गई है, यह भाषा हो गई। विभिन्न छोटी-छोटी भाषायें इसकी सहायिका भाषा और बहन की तरह भोजपुरीह हिन्दी की सहयोगी भाषा हैं। संत कबीरदास, हिन्दी के प्रकांड विद्वान डॉ. हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. नामवर सिंह, डॉ. केदार नाथ सिंह, भोजपुरी के शैक्सपियर और कालीदास श्री भिखारी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, सब ने इस भाषा को समृद्ध किया। श्री महेन्द्र मिसी जिनके साहित्य से हिन्दुस्तान की संस्कृति परिलक्षित होती है। बिहार के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 14 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले के लोगों की भाषा भोजपुरी है। उसके बाद लगभग 15 देशों में इस भाषा को बोलते हैं। विभिन्न शहरों में इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। भोजपुरी में विभिन्न साहित्य की रचना हुई है.। आंकलन किया गया है कि हिन्दुस्तान के 17 करोड़ लोगों की भाषा है। दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मारिशस,िफजी, सूरीनाम,गुआना में भोजपुरी का बहुत महत्व है। मारिशस द्वारा अपनी राजभाषा में भोजपुरी भाषा के लिखने के लिये बिल प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से इस भाषा-भाषी के शुरु में बाबू कुंवर सिंह आये, बाबू जगजीवन राम, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, इतिहास के विभिन्न महान नेता लोग उस इलाके से आये हैं। स्व. चन्द्रशेखर जी उस क्षेत्र के भाषा-भाषी रहे हैं। मैं सच्चाई का इज़हार करना चाहता हूं। इसका इतना समृद्ध साहित्य है कि बहुत से लोगों द्वारा लोक भाषा के रूप में भोजपुरी बोली जाती है। लगभग 8 विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। अभी तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आठवीं अनुसूची में 14 से 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जब कि उसमें शामिल आठ भाषाओं से बोलने वालों से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वालों की है, इसे क्यों दर्जा नहीं दिया गया है? यह बताया गया कि भोजपुरी के बारे में 2003 में रिपोर्ट आयी जिसे सरकार ने अपने पास जमा कर लिया। क्या सरकार 6 साल से इस पर विचार ही कर रही है? मैं साक्षी हूं कि वर्ष 2006 में इस सदन में श्री शिवराज पाटील ने कहा था कि इसे शीघ्र शामिल किया जायेगा, मेरा सरकार से सवाल है कि शीघ्र का क्या मतलब होता है? इसी प्रकार श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने उधर से कहा कि तुंत होगा। मेरा सरकार से सवाल है कि शीघ्र और तुंत का क्या मतलब है? सरकार ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट है, फिर इसमें देरी क्यों है, जब इसे जन समर्थन है। लोग कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट है तो क्या मापदंड है? क्या पैरवी और सिफारिश पर मापदंड तय होता है? राजनैतिक कारणों से होता है? इससे देश नहीं चला करता है। भाषा एक

संवेदनशील मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम ये सब सवाल उठा रहे हैं। हम यह स्पेसिफिक सवाल उठा रहे हैं। क्या कारण है कि भोजपुरी के बारे में महापात्र कमेटी रिपोर्ट और उस पर ये सभी विभागों से वर्षों से राय ले रहे हैं? सिंध कितने लोगों की भाषा है, नेपाली हिन्दुस्तान में कितने लोगों की भाषा है? इन भाषाओं की जब दरख्वास्त आयी तब वह मंजूर होती गयी और जब भोजपुरी का सवाल आया है तो कहते हैं कि हमने जांच कमेटी बिठायी है और हम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, राय नहीं आयी है, इसलिए निर्णय नहीं हुआ है। हम पूछते हैं कि जब भोजपुरी का इतना व्यापक जन समर्थन है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह हिन्दी भाषा की सहायक भाषा है। इसी से हिन्दी समृद्ध होगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदम्बिका पाल।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह इसी से ताकतवर राष्ट्र भाषा और विश्व भाषा बनेगी।...(व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं। चौदह में आठ भाषाओं को जोड़ने में कोई छानबीन नहीं और भोजपुरी के लिए कानून, कमेटी आदि बता रहे हैं। ये बहुत बात बता रहे हैं। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम जान गये हैं कि सिवाय लड़ाई के दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए भीषण जनसंग्राम होगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदम्बिका पाल जी।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, वह संघर्ष फिर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। इन्हीं बातों के साथ ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपने अपनी बात रख ली है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसी तरह से यहां भी भोजपुरी भाषा के लिए...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)ओ

उपाध्यक्ष महोदय : जगदम्बिका जी, आप बोलिये।

---

*Not recorded.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, नहीं तो सरकार बताये कि इंसाफ कब मिलेगा? हिन्दुस्तान के और दुनिया के 25 करोड़ लोगों के लिए कब न्याय मिलेगा? नहीं तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाये। इन्हीं बातों के साथ भोजपुरी लोक भाषा जिन्दाबाद, लोक भाषा, लोकतंत्र, लोक वेशभूषा, लोक भोजन तब मजबूत होगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस पर सरकार ध्यान दे। नहीं तो फिर संग्राम के लिए तैयार हो जाये।...(व्यवधान) राजस्थानी भाषा 2500 वर्षों की पुरानी भाषा है।...(व्यवधान) यहां पर राजकाज राजस्थानी भाषा में चलता था। यह देश में लोकप्रिय है इसलिए राजस्थानी भाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए भोजपुरी और राजस्थानी दोनों का सवाल है। नहीं तो फिर संग्राम होगा, तैयार हो जाइये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो गया, आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सर्वाधिक लोगों में बोली जाने वाली भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष विचाराधीन है। माननीय मंत्री जी ने इस कालिंग अटैंशन का उत्तर देते हुए कहा कि आजादी के बाद या आजादी के समय केवल चौदह भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में थीं और आज चौदह के स्थान पर बाइस भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हुई हैं- चाहे वह नेपाली हो, मणिपुरी हो, कोंकणी हो, सिंधी हो, बोडो हो, डोगरी हो, संथाली हो या मैथिली हो, इन भाषाओं का समावेश किया गया। इन भाषाओं को शामिल करने के लिए सम्मानित सदन स्वागत करता है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आज यह सदन गंभीरता से सदन की भावनाओं को दृष्टिगत करे तो आज सदन में बहुमत लोगों की भावनाएं हैं कि भोजपुरी और राजस्थानी दोनों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने एक बात कही है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जो शामिल

किया गया, वह परिस्थितियों और मांग के अनुसार किया गया। स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा है। तो पूरे सदन की मांग 14वीं लोक सभा में उठी जिसका ज़िक्र माननीय रघुवंश जी ने किया और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को सिद्धांततः शामिल करने का निर्णय करते हैं, तो सरकार की कंटीन्यूटी होती है। अगर चौदहवीं लोक सभा से यह बात 15वीं लोक सभा में उठ रही है तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन सदन की संपत्ति हैं, सरकार की संपत्ति हैं, उस आश्वासन पर तत्कालीन गृह मंत्री के मौजूदा गृह मंत्री को आज सदन में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और राजस्थानी को शामिल करेंगे, इस बात का आश्वासन इस सदन में मिलना चाहिए।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आज यह बात चाहे संजय निरुपम जी ने उठाई हो या हमने उठाई हो, यह बात सिर्फ तीन सदस्यों ने नहीं उठाई है, यह सदन के तमाम सदस्यों की भावनाएँ हैं। आज वे तमाम भाषाएँ जिनका हमने स्वागत किया है कि अगर वे सीमित दायरे में बोली जाती हैं - चाहे वह कोंकण क्षेत्र में बोली जाती हो, मैथिली क्षेत्र में बोली जाती हो, संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती हो, अगर उन भाषाओं को हम संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का स्वागत कर सकते हैं तो आज भोजपुरी और राजस्थानी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारंड हो या छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, मुम्बई हो, कोलकाता हो या हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में बोली जाती है और यहाँ तक कि सूरीनाम में भी बोली जाती है, त्रिनिदाद में बोली जाती है, मारीशस में बोली जाती है, साउथ अमेरिका में बोली जाती है, कैरिबियन देशों में बोली जाती है, गुयाना में बोली जाती है और जो भाषा 18वीं-19वीं शताब्दी से देश विदेश तक चली गई, इसको आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर कोई खर्चा नहीं आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल : कृपया सुन लीजिए,मेरा बहुत बहुमूल्य सुझाव है। मैं जानता हूँ कि सरकार का जवाब इस पर पॉज़िटिव आएगा। मैं कहता हूँ कि अभी तमाम माननीय साहित्यकारों के नाम लिए गए, कालजयी साहित्यकारों का नाम लिया। अरे! लालू यादव जी भी तो कालजयी हैं, और भी कई सदस्य इस सदन में मौजूद हैं। दारा सिंह चौहान भी उसी इलाके से हैं, सदन की पीठ पर बैठे हुए आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। खुद इस पीठ की अध्यक्ष मीरा कुमार जी भी उसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। कम से कम सौ लोक सभा के संसद सदस्य इसी भोजपुरी बोलने वाले इलाके से जीतकर आते हैं। यह पहली बोली है, मैं इसका व्याकरण भी लेकर आया हूँ। यह संक्षिप्त भोजपुरी व्याकरण है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर यह कहा जाए कि भोजपुरी बोली है और जैसा कहा गया कि मैथिली भी बोली है। लेकिन आज वह बोली भाषा हो गई जब इसकी लिपि चलने लगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिये।

श्री जगदम्बिका पाल : आज इसका व्याकरण भी हो गया है। हमारी इंटरनैट साइट पर पूरे भोजपुरी का व्याकरण दिया गया है। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 1000 साल का इस बोली कि इतिहास है या तमाम साहित्य है। अगर मारीशस में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो सकता है, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भोजपुरी पढ़ाई जा सकती हो, मारीशस में महात्मा गांधी एकैडमिक सोसाइटी है, अगर वहाँ पुरस्कार दिया जा सकता हो, दिल्ली अकादमी वहाँ पुरस्कार दे रही हो, इसी तरह से मान्यवर, आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन कोर्स चल सकता है, मारीशस में कोर्स चल सकता है, हिन्दी साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप से और सरकारी रूप से आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया ने इसको अंगीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है और इसको साबित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। आपने अपनी बातें रख दी हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये हमारी भावनाएँ हैं। एक संख्या हो सकती है कि दुनिया में 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हों या राजस्थानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ मारवाड़ी नहीं हैं, कहाँ राजस्थान के लोग नहीं हैं - चाहे वे बस्ती हो, डुमरियागंज हो, सिद्धार्थनगर हो। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, अगर 22 भाषाएँ हो सकती हैं तो 24 भी हो सकती हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तत्कालीन गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। यदि कमेटी बनाकर के, यदि कमेटी की रिपोर्ट न आती तो हम कह देते कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है।...(व्यवधान) महापात्रा समिति की रिपोर्ट आ गयी। वर्ष 2003 में महापात्रा कमेटी की रिपोर्ट आई और वर्ष 2004 में कमेटी का गठन हुआ, छः साल से उस रिपोर्ट पर कौन सा विचार चल रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि छः साल से अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी है, तो आज कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा करनी चाहिए।...(व्यवधान) भोजपुरी और राजस्थान को इसमें शामिल करने की घोषणा करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

14.46 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and Shri Bhisma Shankar alias Kushal Tiwari came and stood on the floor near the Table

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य स्वयं को इस बात के साथ एसोशिएट करना चाहते हैं, अपना नाम सभापटल पर भेज दें।

मंत्री जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

14.47 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and Shri Bhisma Shankar alias Kushal Tiwari went back to their seats

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस आर्डर में लाएं, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप रिप्लाई दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक अद्भुत देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश की विविधता में ही एकता है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है, जहां पर अलग-अलग भाषाओं की बोलियां और फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। कोई भाषा किसी से कम नहीं है, कोई भाषा किसी से ज्यादा नहीं है। सभी भाषाएं हमारे देश की भाषाएं हैं और सभी भाषाएं हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे...(व्यवधान) आप हाउस आर्डर में लाइए, मैं तभी बोल सकूंगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम अगला आइटम ले लेंगे।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है...(व्यवधान) आप हाउस आर्डर में लाएंगे, तभी कुछ बात मैं सदन में रख सकता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आपने जवाब दे दिया।

â€¦(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I understand the sentiments of the hon. Members. This is an important issue, particularly, the demand of Rajasthani and Bhojpuri languages to be included in the Eighth Schedule, but the scope of the Calling Attention in this House is limited.

Therefore, I respectfully submit to the hon. Members that we can have this discussion on a substantive motion as the time is not available in this current Session. We can have ...(*Interruptions*) We can have a substantive discussion in the next Session because we do not take any decision under the Calling Attention. If you want to have any, then there are other Parliamentary mechanisms through which you can have the discussion. ...(*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद (सारण): यह आप मान रहे हैं, तो शासन से कह कर इसे लागू कीजिए।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Laluji, I cannot accept just at this moment. On the spur of the moment, the Government cannot accept or the Government cannot relegate. My most respectful submission is if you want to have a meaningful discussion, you can bring it in any form of substantive discussion, under Rule 193 or so, and then all the Members will have the opportunity to express or give their views. The Minister, at the end of the debate, would then be in a position to respond and articulate. Today we have spent enough time on non-issues. Limited time is now left, and it is three o'clock. There are certain other issues. Please transact some business because the House has been extended to transact certain essential Government Business. My respectful submission to all the Members would be that let the normal business be carried on.â€¦ (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

श्री अजय माकन : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक भोजपुरी और राजस्थानी भाषा का सवाल है, इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार विचार कर रही है। सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और जो भी फैसला होगा, उसे हम हाउस के अंदर बताएंगे। सरकार विचार कर रही है और सीताकांत महापात्र कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

[Placed in Library, See LT No. 3098/15/10]